न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 566 /2022
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. पवन ढ़ाल पुत्र श्री पालाराम जाति मेघवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज.

– वादी

बनाम्

1. पालाराम उर्फ महिपाल पुत्र श्री आसाराम जाति मेघवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज.
2. रमन पुत्री श्री पालाराम पत्नी श्री विशाल जाति मेघवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज.
3. सुनीता पुत्री श्री पालाराम पत्नी संजय जाति मेघवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज.
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री भीम पारीक –वकील वादी
श्री प्रिंस मिंढ़ा–वकील प्रति 1 ता 3
राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 4

निर्णय **दिनांक :-** 15.6.2023

वादी पवन ढ़ाल ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के
तहत दिनांक 04/11/2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व
प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार
वही है जो वादपत्र के भीर्शक में दर्शाया गया है। कि प्रतिवादी स 1 वादी का
पिता एव प्रतिवादीया स 2 व 3 वादी की बहिने है जो कि एक ही परिवार के
सदस्य है। कि प्रतिवादी स 1 वादी का पिता एव प्रतिवादीया स 2 व 3 वादी
की बहिने है जो कि एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी स 2 व
3 के पिता प्रतिवादी स 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक न 29
ए.एम.पी के खाता संख्या 6/6 ज.स 2072-2075 मे जमाबन्दी की कम
संख्या 5 पर 253/3796 हिस्सा अर्थात 0.2529 है. एव कम संख्या 6 पर
1139/5694 हिस्सा अर्थात 0.7591 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है
कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि मे जो कि वादी एवं
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित
एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम
से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहीं होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी
व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 के मध्य विवाद
हो गया व आपस मे कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये
पंचायत वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 मे मध्य राजीनामा व बंटवारानुसार कर
दिया प्रतिवादीया स 2 व 3 की की शादी अच्छा दान दहेज देकर अच्छे परिवार
मे कर दी है। जे राजीखुशी अपना जीवपनयापन कर रही है। तथा प्रतिवादी
संख्या 1 के पास जीवनयापन के पर्याप्त साधन है जिनका उक्त भूमि मे कोई
हित व स्वत्व निहित नही रहा है। का वर्णिन निम्न प्रकार से है।

(क) वादी पवन काल पुत्र श्री पालाराम जाति मेघवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज के हक व हिस्से की कृषि भूमि का विवरण -

तहसील संगरिया के चक 29 ए.एम.पी के खाता स 6/6 ज.ब 2072-2075 मे 1.012 है. कृषि भूमि।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी एव प्रतिवादी स 1 ता 3 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे किया गया है। वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 को प्रश्नगत कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है तथा वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को उक्त कृषि भूमि मे कानुनी अधिकारी होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 4 को भू धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायलय के श्रेत्राधिकार व श्रवणधिकार का है जो उचित न्याय भुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अत वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि - कि घोषणा इय आशय की फरमाई जावे कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 29 ए.एम.पी के खाता स 6/6 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 मे दर्ज 1.012 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकर घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे ।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति का ज्वाब दावा मय ईकबालदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादी सं. 4 का जबाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जमाबंदी चक 29 ए.एम.पी खाता सख्या 6/6 जमाबंदी संवत 2072-75 को प्रदर्श 1 एवं सरपंच ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला द्वारा जारी किये गये दो नाम बाबत प्रमाण पत्र को प्रदर्श 2 करवाया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि कि घोषणा इय आशय कि फरमाई जावे कि वादी एव प्रतिवादी स 2 व 3 के पिता प्रतिवादी स 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 29 ए.एम.पी के खाता स 6/6 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 मे 1.012 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे । प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 प्रदर्श किया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 जिसका

लगातार - 3

विरोध नही किया गया। वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपने दो नाम पालाराम एंव महिपाल होने बाबत सरपंच ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला द्वारा जारी किये गये दो नाम बाबत प्रमाण पत्र को प्रदर्श 2 करवाया गया जिसका भी विरोध दर्ज नहीं हुआ। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का सहमति का जवाब दावा मय ईकबालदावा पेश हुआ। वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिकी किया जाता हैं तथा घोषणा इस आशय की फरमाई जाती है कि वादी एव प्रतिवादी स 2 व 3 के पिता प्रतिवादी स 1 पालाराम उर्फ महीपाल के नाम से तहसील संगरिया के चक 29 ए.एम.पी के खाता संख्या 6/6 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 मे जमाबंदी में कम संख्या 5 व 6 में दर्ज 1.012 है. कृषि भूमि का वादी पवन ढ़ाल को खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 पालाराम उर्फ महीपाल का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिकी अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेगे।

नोटः-बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15-6-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15/6/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
शिविर स्थल नगराना

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

(अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 566/2022

वाद पत्र अं.धारा :- 88 आरटीए

1. पवन ढ़ाल पुत्र श्री पालाराम जाति मेघवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुल`'हर जिला श्री गंगानगर राज.

-वादी

बनाम्

1. पालाराम उर्फ महिपाल पुत्र श्री आसाराम जाति मेघवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादूलशहर जिला श्री गंगानगर राज.
2. रमन पुत्री श्री पालाराम पत्नी श्री विशाल जाति मेघवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादूलशहर जिला श्री गंगानगर राज.
3. सुनीता पुत्री श्री पालाराम पत्नी संजय जाति मेघवाल निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादूलशहर जिला श्री गंगानगर राज.
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 15.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री भीम पारीक वकील वादी व श्री प्रिंस मिंढ़ा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी एव प्रतिवादी स 2 व 3 के पिता प्रतिवादी स 1 पालाराम उर्फ महीपाल के नाम से तहसील संगरिया के चक 29 ए.एम.पी के खाता संख्या 6/6 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 मे जमाबंदी में क्रम संख्या 5 व 6 में दर्ज 1.012 है. कृषि भूमि का वादी पवन ढ़ाल खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 पालाराम उर्फ महीपाल का नाम कलमजन किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे

नोटः- बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत.....X.....निल.....X.....

खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक .....X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....15/6/2023..... जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

15/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया